

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, जिला रायपुर

—00—

कमांक २१२/एफ 2017-04-03779/स्था/चार

अटल नगर, दिनांक 6/02/2019

प्रति

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:-उच्च शिक्षा विभाग का यू.ओ.कमांक/401/R-710/16/38-2, दिनांक 14.11.2018

—0—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र कमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना को दिनांक 01.10.2009 से लागू करता है। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए.सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


6/2/2019
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

पृ.कमांक २१३/एफ 2017-04-03779/स्था/चार
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 6/02/2019

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, रायपुर
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
6. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
8. समस्त मान.मंत्री जी के विशेष सहायक/निज सचिव, अटल नगर, रायपुर
9. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
10. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर

11. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर के वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
14. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. नियंत्रक, शासकीय मुद्रन एवं लेखन सामग्री, अटल नगर
20. समस्त मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़

(P 0004)
6/2/2019
अवर सचिव